

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026—चैत्र 20, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2026

क्रमांक ESTB/8841/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 21/2/2026-EO(MM-1), दिनांक 19-03-2026 के तारतम्य में श्री रवि मित्तल, भा.प्र.से. (2016) संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय तथा अति. प्रभार आयुक्त, जनसंपर्क, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद एवं संचालक, विमानन की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपते हुए दिनांक 31-03-2026 की अपराह्न से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मार्च 2026

क्रमांक WELF-3008/42/2025/SW.—राज्य शासन एतद्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 66 की उपधारा (2) में प्रदत्त प्रावधान का प्रयोग करते हुये, और इस आदेश के प्रकाशन तारीख से निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करता है, अर्थात :-

1.	भारसाधक मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष
3.	श्री पुरन्दर मिश्रा, माननीय विधानसभा सदस्य	सदस्य
4.	श्री चैतराम अटामी, माननीय विधानसभा सदस्य	सदस्य
5.	श्री ईश्वर साहू, माननीय विधानसभा सदस्य	सदस्य
6.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9.	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
10.	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	सचिव, जनशिकायत निवारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
12.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
13.	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
14.	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
15.	सचिव, श्रम एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	सदस्य
16.	सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
17.	सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
18.	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सदस्य
19.	सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
20.	सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
21.	सचिव, विमानन विभाग	सदस्य
22.	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय	सदस्य सचिव
23.	श्रीमती मीता मुखर्जी (डाउन सिन्ड्रोम)	सदस्य
24.	सुश्री सरस्वती निषाद	सदस्य
25.	श्रीमती पार्वती ठाकुर	सदस्य
26.	श्रीमती रिता छत्रपाल	सदस्य
27.	सुश्री ज्योत्सना मय देव	सदस्य
28.	श्री राकेश ठाकुर	सदस्य
29.	श्री दिलीप श्रीवास्तव	सदस्य
30.	श्री दुर्जेराम ज्योति	सदस्य
31.	श्री रमेश चन्द्रा (श्रवण बाधित)	सदस्य
32.	श्री अरविंद शर्मा (दृष्टि बाधित)	सदस्य
33.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज	सदस्य
34.	प्रेसीडेन्ट, सीआईआई छत्तीसगढ़	सदस्य

35.	अध्यक्ष, साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड	सदस्य
36.	जिला कलेक्टर – दुर्ग, देतेवाड़ा, जशपुर, बलौदा बाजार-भाटापारा एवं रायगढ़ द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य

2. राज्य सलाहकार बोर्ड के कृत्य :—

- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता मामलों पर एक राज्य स्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुगम बनाएगा.
- (2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्
 - (क) राज्य सरकार को दिव्यांगता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना,
 - (ख) दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना,
 - (ग) राज्य सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों को बरत रहे हैं, के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वयन करना,
 - (घ) राज्य योजनाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों को उठाना,
 - (ङ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास भेदभावहीनता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातावरण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना,
 - (च) दिव्यांग व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मानिट्रिंग और मूल्यांकन करना,
 - (छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. मांझी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 मार्च 2026

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/3361/202310052900002/01/अ-82/2023-24.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	मुरली	0.448 हेक्टेयर	सलिहापारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-04-2026 को समय दो:12.00 बजे से स्थान पंचायत भवन मुरली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सलिहापारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 233.55 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 156 हे. खरीफ क्षेत्र एवं 24 हे. रबी क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य प्रस्तावित है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सक्ती, दिनांक 9 सितम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक/423 क/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	अड़भार	करपाली प.ह.नं. 12	12	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	सक्ती-टुण्डी मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मालखरौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/120/वा./202204141400003/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
 - (ख) तहसील-पखांजूर
 - (ग) नगर/ग्राम-ग्राम आलोरे
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.313 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.112
50/1	0.022
50/2	0.05
62/1	0.033
62/2	0.02

(1)	(2)
186	0.04
187	0.036
योग	07 0.313

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड कोयलीबेड़ा अंतर्गत कापसी-आलोर मार्ग के कि.मी. 3/2 देवधा नदी पर सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/121/वा./202207141400013/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-ग्राम देवीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187	0.01
197	0.01
195/1	0.01
195/2	0.02
331	0.03
358	0.01
411	0.02
412	0.03
347	0.03

(1)	(2)
355/1	0.02
355/2	0.01
354	0.02
योग	12 0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड कोयलीबेड़ा अंतर्गत पी.व्ही. 112 देवीपुर-देवधा मार्ग के कि.मी. 1/4 देवधा नाला पर सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/124/वा./202204141400002/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-ग्राम आलोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
384	0.032
386	0.04
388	0.036
407	0.009
योग	04 0.117

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड कोयलीबेड़ा अंतर्गत ब्रम्हाचार्यपारा-आलौर मार्ग के कि.मी. 2/6 देवधा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 6 अप्रैल 2026

क्रमांक/09/अ-82/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-सक्ती
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-सपोस, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2087 में से	0.036
योग	0.036

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत लटेसरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 18 मार्च 2026

क्रमांक 06.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (ग्राम चैनपुर के आश्रित ग्राम चिउटीमार एवं ग्राम चैनपुर के मध्य असर्वेक्षित भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करने

की घोषणा करता हूँ,

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है)	असर्वेक्षित भूमि की चतुर्सीमा	असर्वेक्षित भूमि का रकबा (हे.) में	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़ (ग्रामीण)	9	ग्राम चैनपुर आश्रित ग्राम चिउटीमार	पूर्व—ग्राम चिउटीमार की सीमा पश्चिम—चैनपुर की सीमा उत्तर—ग्राम चिउटीमार की सीमा दक्षिण—ग्राम चैनपुर की सीमा	10.974 हे.	

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2026

क्रमांक/GENS/15305/भू-अभि./स्था./2026.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डी. राहुल वेंकट, कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे —

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है)	राजस्व सर्वेक्षण प्रारंभ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़ (शहरी)	16	नई लेदरी	उत्तर—ग्राम झगराखाण्ड एवं तेंदुडांड की सीमा. दक्षिण—ग्राम नई लेदरी एवं ग्राम गिध्दडांड की सीमा. पूर्व— हसदो नदी पश्चिम—ग्राम नई लेदरी एवं गिध्दडांड की सीमा.	भू-सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड ग्राम नई लेदरी, तेंदूडांड, गिध्दडांड, झगराखाण्ड एवं हसदो नदी सीमा के मध्य अवस्थित है.

डी. राहुल वेंकट
कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण
अधिकारी

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक 591/दो-2-30/2016.— श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.) दिनांक 31-10-2025 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 206 (दो सौ छः) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.